न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, चित्तौड़गढ़

पीठासीन अधिकारी :– इन्द्र सिंह राव, आई.ए.एस.

अपील सं. 25/2017/डिक्री

मदनलाल पिता डुंगा माली
निवासी रामनगर माली मोहल्ला तहसील व जिला चित्तौड़गढ़

–अपीलान्ट

बनाम

1. मांगीलाल पिता डूंगा माली
   निवासी हजारेश्वर मंदिर के सामने चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
2. पन्नालाल पिता डूंगा माली
   निवासी रामनगर, माली मोहल्ला चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़
3. राज्य जरिये तहसीलदार चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़

–रेस्पोडेन्टस

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955
विरूद्ध निर्णय एवं डिक्री उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़
निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07/10/2011 प्रकरण संख्या 202/2010

उपस्थित – 1. श्री छोगालाल जाट – अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री सोहनलाल जणवा – अभिभाषक रेस्पोडेन्ट 1 व 2

निर्णय दिनांक : – 26.04.2018

1. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय मे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादी ने रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 व अपीलान्ट के विरूद्ध वादपत्र अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत का इस आशय का पेश किया गया कि विवादित आराजीयात मौजा चित्तौड़गढ़ तहसील व जिला चित्तौड़गढ़ की खाता संख्या 426 मे दर्ज आराजीयात आराजी नम्बर 1434, 1440, 1441 कुल किता 3 रकबा 0.79 है0 दर्ज रेकार्ड है। उक्त आराजीयात मे अपीलान्ट प्रतिवादी संख्या 1 का 1/6 व रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2 का 5/6 हक व हिस्सा निहित है, जिसका बाहमी तौर पर आपसी बंटवाडा कर रखा है, व आपसी बंटवाडे अनुसार काबिज होकर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है। उक्त आशय का वादपत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया गया, व अपीलान्ट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 2 व 3 के सम्मन नोटिस जारी किये गये व

दिनांक 24/10/2010 की तारीख पेशी नियत की गयी जिसके नोटिस अपीलान्ट को जारी किया गया जो अपीलान्ट को नही मिला फिर भी तामील कुनिन्दा की यह रिपोर्ट की कि अपीलान्ट प्रतिवादी संख्या 1 ने सम्मन नोटिस अपीलान्ट लेने से इंकार किया गया जिस पर दिनांक 14/02/2011 को तारीख पेशी निकल जाने के पश्चात् उक्त नोटिस को तामील मानते हुए एक तरफा कार्यवाही की जाकर अपीलान्ट के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही का आदेश पारित कर दिया गया व दिनांक 21/02/2011 को रेस्पोडेन्ट संख्या 1 वादी की ओर से साक्ष्य मे प्रस्तुत शपथ पत्र को रेकार्ड पर लिवाये जाकर शहादत बन्द की जाकर दिनांक 23/02/2011 को एक तरफा मे बहस सुनी जाकर अपीलान्ट के विरूद्ध प्राथमिक निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी गयी जिसमे अपीलान्ट प्रतिवादी संख्या 1 का 1/6 हक व हिस्सा घोषित किया गया। तत्पश्चात् उक्त पत्रावली मे फर्द बंटवाडा तलब किया गया, उक्त फर्द बंटवाडे मे कमिश्नर द्वारा अपीलान्ट को कोई सूचना पत्र जारी नही किया गया, न ही अपीलान्ट को सूचित किया गया फिर भी अपीलान्ट की अनुपस्थिति मे फर्द बंटवाडा तैयार किया जाकर उसकी अनुपस्थिति मे फर्द बंटवाडा अधीनस्थ न्यायालय मे पेश कर दिया गया व उसी फर्द बंटवाडे को सही होना मानते हुए अधीनस्थ विचारण न्यायालय ने अंतिम निर्णय एंव डिक्री पारित कर दी, जिससे असंतुष्ट होकर वादी अपीलान्ट ने यह अपील पेश की है।

2. अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय एवं दिनांक 23/02/2011 मे उक्त आराजीयात के सम्बन्ध मे फर्द बंटवाडा मंगवाये जाने हेतु कमिश्नर नियुक्त किया गया जिसमे कमिश्नर द्वारा बंटवाडा नियम 18 से 21 की पालना नही की गयी, व फर्द बंटवाडा तैयार किया जाकर अधीनस्थ विचारण न्यायालय मे प्रस्तुत कर दिया गया, व उसी फर्द बंटवाडे के आधार पर विचारण न्यायालय ने अंतिम निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी गयी, जो वैधानिक होने से निरस्त योग्य है। प्राथमिक निर्णय एवं डिक्री मे अपीलान्ट प्रतिवादी संख्या 1 का 1/6 हक व हिस्सा होने की प्राथमिक डिक्री पारित की गयी व 1/6 हक व हिस्से के अनुसार अपीलान्ट प्रतिवादी संख्या 1 का 0.13 है0 रकबा बनता है फिर भी अधीनस्थ विचारण न्यायालय ने अंतिम निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एव ंडिक्री दिनांक 07/10/2011 की जानकारी अपीलान्ट को नही थी क्योकि अपीलान्ट की प्रोपर तामील नही हुई थी फिर भी बिना तामील के

अपीलान्ट के विरूद्ध एक तरफा कार्यवाही की जाकर प्राथमिक निर्णय एवं डिक्री पारित की गयी व उसी निर्णय एवं डिक्री की पालना मे फर्द बंटवाडा मंगवाया जाकर अंतिम निर्णय एवं डिक्री पारित कर दी गयी जिसकी सर्व प्रथम जानकारी दिनांक 06/02/2017 को पटवारी हल्का से जमाबन्दी की प्रमाणित प्रति प्राप्त करने से हुई। प्रमाणित प्रति प्राप्त करने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जिसकी निर्णय की प्रमाणित प्रति दिनांक 07/02/2017 को प्राप्त हुई। अपील मे हुए विलम्ब को क्षम्य करने हेतु धारा 5 कानून मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है। अतः निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित विवादित अंतिम निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07/10/2011 निरस्त फरमाये जाने की डिक्री प्रदान की जावे।

3. दौराने बहस वकील अपीलान्ट ने मुख्य रूप से उन्ही तथ्यो का उल्लेख किया जो अपील मे उल्लेखित है। इस प्रकरण मे मुख्य रूप से फर्द बंटवाडा को लेकर विवाद है। ऐसी सूरत मे अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाकर अपील स्वीकार की जावे।

4. दौराने बहस वकील रेस्पोडेन्ट का कथन है कि बंटवाडा फर्द मौतबीरान की उपस्थिति मे बनाई गई है जिसमे किसी प्रकार की त्रुटि नही है जिसके कारण अपील अपीलान्ट खारीज होने योग्य है।

5. बहस उभयपक्ष सुनी गई। अपील एंव अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया, जिससे जाहिर होता है कि अपीलार्थी को फर्द बंटवाडा बनाते समय समुचित अवसर प्रदान नही किया गया है। ऐसी सूरत मे अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त होने योग्य है। फलतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चित्तौड़गढ़ द्वारा प्रकरण संख्या 202/2010 मे पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 07/10/2011 को अपास्त करते हुए प्रकरण पुनः सुनवाई कर निर्णय पारित करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किया जाता है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसला शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(इन्द्र सिंह राव)
राजस्व अपील प्राधिकारी,चित्तौड़गढ़